Government of India
Ministry of Corporate Affairs
CSR Cell
No. 05/05/2026-CSR-MCA
New Delhi, the 11.11.2026

PUBLIC NOTICE

Existing Schedule VII of the Companies Act, 2013 enlists areas or subjects that may be undertaken by a company as Corporate Social Responsibility (CSR). Schedule VII enumerates the activities that can be undertaken as CSR, which are aligned with national priorities to promote inclusive and sustainable development and support multiple social sectors mentioned in the said Schedule.

Companies (CSR Policy) Rules, 2014 provides for the manner in which CSR activities shall be formulated, undertaken, reported and monitored. Thus, it aims to establish a clear operational framework for implementing Section 135 of the Act, 2013.

The Ministry has reviewed the existing CSR ecosystem, and to further strengthen business involvement in CSR, suggestions were invited from various stakeholders, so that the Ministry could facilitate businesses to be even more socially, economically, and environmentally responsible. Multiple suggestions received from various stakeholders to propose various changes in the CSR framework.

Accordingly, the notifications proposing amendments in the Schedule VII of the Act and Companies (CSR Policy) Rules have been prepared and are made available on the portal of the Ministry i.e. www.mca.gov.in.

It has been decided to invite suggestions/ comments on such draft amendments from stakeholder. These suggestions/ comments on the draft amendment notifications along with justification in brief may be sent latest by 11.12.2026 through e-consultation Module on the website of Ministry of Corporate Affairs.

*****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... , 2026

सा.का.नि. ..... (अ)-- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) दूसरा संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) उपनियम (1) के खंड (घ) में, उपखंड (i) के परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (1) में, खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(vii) एक बार का आयोजन ;

(viii) सरकारी स्कीमों का वित्तपोषण ;

(ix) किसी इकाई की किसी समग्र निधि में अंशदान ;

(x) आपदा प्रबंधन के तुरंत राहत वितरण के मामलों के सिवाय, कंपनियों द्वारा स्वयं के उत्पादों या सेवाओं के लिए वस्तु के रूप में अंशदान ;

स्पष्टीकरण–इस मद के प्रयोजनों के लिए**,** "स्वयं के उत्पादों या सेवाओं के लिए वस्तु के रूप में अंशदान" पद से असंबद्ध पक्षकारों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिबद्धताओं, जिसमें आपदा राहत कार्यकलाप भी सम्मिलित हैं, के हिस्से के रूप में वस्तुओं या सेवाओं का नि:शुल्क वितरण अभिप्रेत है, प्रतिफल के अभाव में ये वस्तुएं सामान्यत: करयोग्य आपूर्ति नहीं मानी जाती है । ऐसे संव्यवहारों का मूल्यांकन, जहां अपेक्षित हो, असन्निकट आधार पर, अर्थात् खुले बाजार मूल्य पर, किया जाएगा, जो पूर्ण मौद्रिक मूल्य (करों को घटाकर) होगा, जो एक स्वतंत्र पक्षकार समान समय पर समान आपूर्ति के लिए भुगतान करेगा, जहां मूल्य एकमात्र प्रतिफल है और पक्षकार असंबंधित हैं ।'

3. उक्त नियमों के नियम 4(1) में,-

(i) उपनियम (1) में, खंड (क) से खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 332

के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 354 के अधीन अनुमोदित है, जिसे कंपनी द्वारा, या तो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया है ; या

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ; या

(ग) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई इकाई ; या

(घ) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जो आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 332 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 354 के अधीन अनुमोदित है, और जिसके पास समान कार्यकलापों को करने का न्यूनतम तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकार्ड है ; या

(ङ) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (छ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका वैश्विक मुख्यालय भारत में है ;";

(ii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"**(2क) सीएसआर रजिस्ट्रीकरण का अरजिस्ट्रीकरण :** (क) उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन अपनी सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्वैच्छिक अभ्यर्पण और निष्क्रियण के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी, अर्थात् :-

(i) इकाई प्रमाणित करेगी कि प्रत्येक कंपनी से आवेदन की तारीख तक प्राप्त सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का अधिनियम की अनुसूची 7 के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए पूरी तरह से उपयोग किया गया है और अधिनियम की धारा 135 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, इस तरह के प्रमाणीकरण के साथ, व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाणपत्र होगा ;

(ii) जहां कोई सीएसआर रकम, आवेदन की तारीख तक व्यय नहीं हुई है, उपयोग नहीं हुई है, आबंटित नहीं हुई है या अधिशेष में है, तो ऐसी रकम, आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाएगी और आवेदक इकाई, ऐसे अंतरण के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट से सम्यक् रूप से प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी ;

(iii) आवेदन के साथ, यथास्थिति, निदेशक मंडल, शासी निकाय, न्यासी बोर्ड या अन्य सक्षम शासी प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किसी संकल्प की एक प्रमाणित प्रति लगी होगी, जिसमें सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्वैच्छिक अभ्यर्पण और निष्क्रियण को प्राधिकृत किया गया हो ;

(iv) इकाई, अपने सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के निष्क्रियण होने पर, यह घोषित करेगी कि कोई नया रजिस्ट्रीकरण प्राप्त होने तक, वह ऐसी सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप को न तो प्राप्त करेगी और न ही लेगी, जिसके लिए इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है ;

(ख) इस उपनियम के अधीन प्रत्येक आवेदन, इलैक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाएगा,-

(i) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड ;

(ii) प्रस्तुत सूचना की सत्यता और पूर्णता की पुष्टि करने वाला एक शपथपत्र ; और

(iii) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन की जांच करेगा और अभिलेखों, सांविधिक अनुपालनों, कर प्रास्थिति और किसी अन्य सूचना, जो आवश्यक समझी जाए, का सत्यापन कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन किया है, वह पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्पण को अनुमोदित कर सकेगा और सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या को निष्क्रिय कर सकेगा :

परंतु जहां आवेदन अपूर्ण है या अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है, वहां वह, आवेदक को सुनवाई का या अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देकर, लिखित में ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(घ) आवेदन के अनुमोदन पर, इकाई की प्रास्थिति का "निष्क्रिय" या "अभ्यर्पित" के रूप में अद्यतन किया जाएगा, और निष्क्रित सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य नहीं रहेगी ।

(2ख) सीएसआर रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण : (क) उपनियम (2क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इकाई को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या को निष्क्रिय या रद्द करेगा, यदि,-

(i) इकाई ने कपट, दुर्व्यपदेशन द्वारा, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर, या झूठी या भ्रामक जानकारी या दस्तावेजों को प्रस्तुत करके रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है ;

(ii) इकाई ने इस नियम के अधीन अर्हता शर्तों को पूरा करना बंद कर दिया है ;

(iii) इकाई, अधिनियम की धारा 135 या इन नियमों या कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों की प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन, या रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य लागू विधि के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रही है ;

(iv) इकाई ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का उपयोजन, दुरूपयोजन, दुर्विनियोजन किया है या अधिनियम की अनुसूची 7 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है ;

(v) इकाई निरस्त, भंग हो गई है, उसका परिसमापन, विलयन, समामेलन हो गया है या उसने विधिक इकाई के रूप में अन्यथा कार्य करना बंद कर दिया है ;

(vi) इकाई को दिवालिया घोषित किया गया है या उसने परिसमापन में प्रवेश किया है ;

(vii) इकाई ने इन नियमों के अधीन कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में इसकी अर्हता के लिए अनिवार्य किसी सांविधिक रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, अनुमोदन, छूट या मान्यता को त्याग दिया है का अभ्यर्पण कर दिया है या त्याग कर दिया है ;

(viii) इकाई को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है, या जहां इसके निदेशकों, न्यासियों, पदाधिकारियों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से किसी को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें कपट, भ्रष्टाचार, आपराधिक न्यास भंग, धन शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण अंतर्वलित है या जहां ऐसे सिद्धदोष से सीएसआर कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में इकाई की उपयुक्तता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ; या

(ख) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस उपनियम के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, निष्क्रियता के प्रस्तावित आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित सूचना जारी करेगा और इकाई को अपना स्पष्टीकरण, सहायक दस्तावेज या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तीस दिन से अन्यून का समय अनुज्ञात करेगा ;

(ग) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उत्तर, सहायक दस्तावेज पर विचार करने और जहां आवश्यक समझा जाए, वहां व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निम्नलिखित का आदेश पारित कर सकेगा,-

(i) कार्यवाही रद्द करने का ;

(ii) ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन का निदेश देने का ;

(iii) सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या को रद्द करने या निष्क्रिय करने का ;

(घ) सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के निष्क्रिय या रद्द होने पर,-

(i) इकाई, अधिनियम की धारा 135 के अधीन किसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों को प्राप्त करना, प्रशासित करना, लागू करना या उपयोग करना तुरंत बंद कर देगी ;

(ii) इकाई अपने कब्जे में मौजूद ऐसी सीएसआर निधि को, जो व्यय नहीं हुई है या जो अप्रयुक्त है, हिसाब में लेगी और निदेश की तीस दिन की अवधि के भीतर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित करेगी ;

(iii) इकाई की प्रास्थिति का, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखे गए इलैक्ट्रानिक रजिस्टर में "निष्क्रिय" या "रद्द" के रूप में अद्यतन किया जाएगा ;

(ङ) कोई इकाई, जिसकी सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या इस उपनियम के अधीन रद्द कर दी गई है, ऐसे रद्दकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अर्हित नहीं होगी, जब तक रद्दकरण आदेश में अन्यथा उपबंधित न हो ।

(2ग) सीएसआर रजिस्ट्रीकरण में विनिर्दिष्ट विवरणों में परिवर्तन या बदलाव : (क) कोई इकाई, जिसे इन नियमों के अधीन सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित की गई है, प्ररूप सीएसआर-1 में यथावर्णित विवरणों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, केंद्रीय सरकार को, ऐसे परिवर्तन या बदलाव के तीस दिन के भीतर, ऐसे परिवर्तन या बदलाव से निम्नलिखित रीति में सूचित करेगी, अर्थात् :-

(i) आवेदक, सुसंगत प्ररूप सीएसआर-1 को, संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से तामील या प्राधिकृत किए गए परिवर्तित विवरणों के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, प्रस्तुत करेगा ;

(ii) प्ररूप पर, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट या किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव या किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ख) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सलंग्न साक्ष्यों से ऐसे परिवर्तित विवरणों के सत्यापन के पश्चात्, समाधान होने पर, ऐसे परिवर्तनों को सम्मिलित करेगा और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखे गए इलैक्ट्रॉनिक डाटाबेस में ऐसे परिवर्तनों को प्रभाव देने की पुष्टि करते हुए, आवेदक को पत्र के माध्यम से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या ऐसे किसी अन्य माध्यम से, सूचित करेगा ;

(ग) संबद्ध इकाई, उसके विवरणों में परिवर्तन से उस कंपनी को भी सूचित करेगा, जिसकी सीएसआर परियोजनाएं वह कार्यांवित कर रही है :

परंतु इस उपनियम के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी को लागू नहीं होंगे और ऐसी कंपनी को इस उपनियम के उपबंधों के अधीन पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (3) में,-

(क) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सीएसआर आज्ञापक कंपनी, अपनी सीएसआर बाध्यताओं के होते हुए भी, स्वैच्छिक आधार पर एक स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव निर्धारण कर सकेगी और प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी ।";

(ख) विद्यमान खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

[ई-फा. सं. सीएसआर-05/5/2026 –सीएसआर-एमसीए]

(.....)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 129(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014
2. सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015
3. सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016
4. सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018
5. सा.का.नि. 526(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020
6. सा.का.नि. 40(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021
7. सा.का.नि. 715(अ), तारीख 20 सितंबर, 2022
8. सा.का.नि. 452(अ), तारीख 7 जुलाई, 2025
9. सा.का.नि. 415(अ), तारीख 27 मई, 2026

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the..... ,…, 2026.

G.S.R…….(E).— In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Second Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 -

(i) in the sub-rule (1), proviso to sub clause (i) of clause (d) shall be omitted.

(ii) in rule 2, in the sub-rule (1), after sub-clause (vi), the following sub-clauses shall be inserted, namely: -

"(vii) one-off events;

(viii) financing Government Schemes;

(ix) contribution to any corpus fund of any entity;

(x) contribution by the companies in kind for their own products or services except in cases of immediate relief distribution for Disaster Management;

Explanation – For the purposes of this item, the term 'in kind for their own products or services' shall mean Goods or services distributed free of cost to unrelated parties as part of Corporate Social Responsibility commitments, including disaster-relief activities, do not ordinarily amount to a taxable supply in the absence of

consideration. Any valuation of such transactions, where required, is to be made on an arm's length basis i.e. at the open market value, being the full monetary value (minus taxes), that an independent party would pay for an identical supply at the same point in time, where price is the sole consideration and the parties are unrelated.

3. In the said rules, in rule 4(1),-

(i) in sub-rule (1), for the clause(a) to (d) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, which is registered under section 332 or approved under section 354 of the Income Tax Act, 2025 (30 of 2025), established by the company, either singly or along with any other company; or
(b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or
(c) any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or
(d) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, which is registered under section 332 or approved under section 354 of the Income Tax Act, 2025 (30 of 2025), and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities; or
(e) an International Organisation as referred in clause (g) of sub-rule (1) of rule 2 having its global headquarters in India;"

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) De-registration of CSR Registration:

(a) an entity registered under sub-rule (2) may make an application to the Central Government for voluntary surrender and deactivation of its CSR Registration Number, subject to compliance with the following conditions, namely:—

(i) the entity shall certify that all Corporate Social Responsibility funds received from every company up to the date of the application have been fully utilised for activities specified under Schedule VII to the Act and in accordance with the provisions of section 135 of the Act and these rules, such certification shall be supported by a utilization certificate issued by a Chartered Accountant in practice;

(ii) where any CSR amount remains unspent, unutilised, unallocated, or surplus as on the date of the application, such amount shall, before filing the application, be transferred to the fund specified in Schedule VII read with section 135 of the Act and the applicant entity shall furnish documentary evidence duly certified by Chartered Accountants for such transfer;

(iii) the application shall be accompanied by a certified copy of a resolution duly passed by the Board of Directors, Governing Body, Board of Trustees, or other competent governing authority, as the case may be, authorising the voluntary surrender and deactivation of the CSR Registration Number;

(iv) upon deactivation of its CSR Registration Number, the entity shall declare that, it shall neither receive nor undertake any CSR project or activity requiring any registration under these rules unless a fresh registration is obtained;

(b) every application under this sub-rule shall be filed electronically together with—

(i) an indemnity bond executed by the authorised signatory;

(ii) an affidavit affirming the correctness and completeness of the information furnished; and

(iii) such other documents as may be specified by the Central Government;

(c) on receipt of the application, the Central Government or any officer authorised by the Central Government shall examine the application and may verify the records, statutory compliances, tax status, and any other information considered necessary and if satisfied that the applicant has complied with the provisions of this sub-rule, it may approve the surrender and deactivate the CSR Registration Number within a period of thirty days from the date of receipt of a complete application:

Provided that where the application is incomplete or that further information is required, it may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard or to furnish additional information, pass such order in writing as it deems fit;

(d) upon approval of the application, the status of the entity shall be updated as "Inactive" or "Surrendered", and the deactivated CSR Registration Number shall cease to be valid for the purposes of these rules.

(2B) Cancellation of CSR Registration:

(a) notwithstanding anything contained in sub-rule (2A), the Central Government or any officer authorised by the Central Government shall after giving the entity a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, deactivate or cancel the CSR Registration Number granted under sub-rule (2), if the entity has—

(i) obtained registration by means of fraud, misrepresentation, suppression of material facts, or submission of false or misleading information or documents;

(ii) ceased to satisfy the eligibility conditions under this rule;

(iii) failed to comply with the provisions of section 135 of the Act, these rules, or any other applicable law governing the receipt, utilisation, accounting, or reporting of Corporate Social Responsibility funds;

(iv) diverted, misapplied, misappropriated, or utilised Corporate Social Responsibility funds for purposes other than those specified under Schedule VII to the Act;

(v) struck off, dissolved, wound up, liquidated, merged, amalgamated, or otherwise ceased to exist as a legal entity;

(vi) been declared insolvent or entered into liquidation;

(vii) surrendered or lost any statutory registration, licence, approval, exemption, or recognition which is mandatory for its eligibility as an implementing agency under these rules;

(viii) been convicted by a court of competent jurisdiction, or where any of its directors, trustees, office-bearers, or key managerial personnel have been convicted of an offence involving fraud, corruption, criminal breach of trust, money laundering, terrorist financing or where such conviction materially affects the entity's suitability to function as a CSR implementing agency; or

(b) before passing an order under this sub-rule, the Central Government or any officer authorised by the Central Government shall issue a notice in writing specifying the grounds proposed for deactivation and allow the entity not less than thirty days to submit its explanation, supporting documents, or representations.

(c) after considering the reply, supporting documents and providing, where considered necessary, an opportunity of personal hearing, the Central Government or any officer authorised by the Central Government may pass an order—

(i) dropping the proceedings;

(ii) directing compliance within such time as may be specified;

(iii) cancelling or deactivating the CSR Registration Number.

(d) upon deactivation or cancellation of the CSR Registration Number;

(i) the entity shall immediately cease to receive, administer, implement, or utilise any Corporate Social Responsibility funds under section 135 of the Act;

(ii) the entity shall account for and transfer any unspent or unutilised CSR funds in its possession to the fund specified in Schedule VII within a period of thirty days from the directions;

(iii) the status of the entity shall be updated as "Deactivated" or "Cancelled" in the electronic register maintained by the Ministry of Corporate Affairs;

(e) an entity whose CSR Registration Number has been cancelled under this sub-rule shall not be eligible to apply for fresh registration for a period of three years from the date of such cancellation, unless the order of cancellation provides otherwise.

(2C) Any alteration or change in particulars specified in CSR Registration:

(a) every entity who has been allotted a CSR Registration Number under these rules shall, in the event of any change in its particulars as stated in Form CSR-1, intimate such alteration or change to the Central Government within thirty days of such alteration or change in the following manner, namely;-

(i) the applicant shall file the relevant form CSR-1 along with documentary proof of the changed particulars duly served or authorised by the concerned regulatory authority;

(ii) the form shall be digitally signed by a Chartered Accountant in practice or a Company Secretary in practice or a Cost Accountant in practice;

(B) the Central Government or any officer authorised by the Central Government, upon being satisfied, after verification of such changed particulars from the enclosed proofs, shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of a letter by post or electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the Ministry of Corporate Affairs;

(c) the concerned entity shall also intimate the change in its particulars to the company whose CSR projects it is implementing.

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the company established under section 8 of the Companies Act, 2013 and such company is not required to file a separate application under the provisions of this sub-rule."

4. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (3),-

for clauses (a) and (b) the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) CSR mandated company irrespective of their CSR obligation may undertake impact assessment through an independent agency, of their CSR projects on a voluntary basis and the impact assessment reports shall be placed before the Board and annexed to the annual report on CSR;"
(b) the existing clause (c) shall be renumbered as clause(b).

[e-File No. CSR- 05/05 /2026-CSR-MCA]
(……)

Joint Secretory to the Government of India.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and subsequently amended by notification numbers as follows:-

1. G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014,

2. G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015,

3. G.S.R. 540(E), dated the 23rd May, 2016,

4. G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018,

5. G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020,

6. G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2021,

7. G.S.R. 715(E), dated the 20th September, 2022,

8. G.S.R. 452(E), dated the 7th July, 2025,

9. G.S.R. 415(E), dated the 27th May, 2026.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक ___, _____, 2026

सा.का.नि. ____ (अ). — कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 7 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात: —

अनुसूची 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात्:—

अनुसूची 7
(धारा 135 देखें)

कंपनियां अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों में निम्नलिखित क्षेत्रों अथवा विषयों को शामिल कर सकती हैं:—

निम्नलिखित से संबंधित क्षेत्र अथवा विषय:—

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना;

(ii) स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, जिसमें निवारक उपाय, मानसिक स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम तथा उसका उपचार; स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल को बढ़ावा देना शामिल है;

(iii) बच्चों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना;

(iv) युवाओं के व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करके रोजगार को बढ़ावा देना; प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा करियर संबंधी परामर्श प्रदान करना;

(v) लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना; महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्तियों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय करना; महिलाओं को सशक्त बनाना; बच्चों, महिलाओं, अनाथों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छात्रावास, डे-केयर केंद्र, शिशु गृह (क्रेच) तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना करना;

(vi) जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों सहित पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना; वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का संरक्षण; पशु कल्याण; प्राकृतिक संसाधनों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु तथा जल की गुणवत्ता बनाए रखना; वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, जिसमें ई-अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है;

(vii) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना करना;

(viii) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं सहित आश्रितों के लाभार्थ उपाय;

(ix) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों तथा ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना, जिसमें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, खिलाड़ियों की चिकित्सा देखभाल, प्रतिभाओं की खोज शामिल है; खेल अवसंरचना का निर्माण, विकास एवं उन्नयन करना; खेल शिक्षा तथा कोच विकास कार्यक्रम संचालित करना;

(x) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ), प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड), स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) अथवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान देना;

(xi) (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अभिकरण द्वारा वित्त-पोषित इनक्यूबेटरों अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अभिदाय; और

(ख) लोक वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस), संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के संचालन में कार्यरत परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), औषध विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकाय को अभिदाय;

(xii) ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में विकास परियोजनाएं;

स्पष्टीकरण— इस मद के प्रयोजनों के लिए 'मलिन बस्ती क्षेत्र' से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा, जो केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत इस रूप में घोषित किसी भी क्षेत्र से होगा ;

(xiii) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अंतर्गत परिभाषित आपदा प्रबंधन गतिविधियां;

(xiv) सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य मूलधन लिखतों का अभिदान।

टिप्पण: अधिनियम की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध क्षेत्र अथवा विषय व्यापक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समाहित करना है। उक्त अनुसूची 7 में दी गई प्रविष्टियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों अथवा विषयों की मूल भावना को समाहित किया जा सके।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[ई-फाइल संख्या: सीएसआर -05/05/2026- सीएसआर - एमसीए]

(तन्वी सुंदरीयाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण.- अनुसूची 7 को 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी किया गया था तथा तत्पश्चात इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए:—

1. सा.का.नि. 130(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014;
2. सा.का.नि. 568(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014;
3. सा.का.नि. 741(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2014;
4. सा.का.नि. 390(अ), तारीख 30 मई, 2019;
5. सा.का.नि. 776(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2019;
6. सा.का.नि. 313(अ), तारीख 26 मई, 2020;
7. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 23 जून, 2020;
8. सा.का.नि. 525(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020;
9. सा.का.नि. 416(अ), तारीख 27 मई, 2026।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUBSECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, the ____,____, 2026.

G. S. R. __ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule VII to the said Act, namely: —

For the SCHEDULE VII and the entries relating thereto, the following SCHEDULE and entries shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE VII
(*See* section 135)

Areas or subjects which may be included by companies in their Corporate Social Responsibility Policies: —

Areas or Subjects relating to:-

(i) eradicating hunger, poverty and malnutrition;

(ii) promoting health and wellbeing including preventive aspects, mental health, telemedicine, prevention of substance abuse and treatment thereof; promotion of sanitation and safe drinking water;

(iii) promoting education including special education among children, women, youth and differently abled;

(iv) promoting employment enhancing vocational skills for youth and their participation in Prime Minister Internship Scheme, career counselling;

(v) promoting gender equality and social justice; welfare measures for women, children, youth, senior citizens, persons with disability, transgender, socially and economically backward groups; empowering women; setting up hostels, day care centres, crèches and such other facilities for children, women, orphans, and senior citizens;

(vi) promoting environmental sustainability and ecological balance including measures to combat climate change; protection of flora and fauna; animal welfare; conservation of natural resources, marine resources and maintaining quality of soil, air and water; promoting rainwater harvesting, natural farming, agroforestry, clean energy and waste management including e-waste;

(vii) preservation and promotion of national heritage, art and culture including traditional art and handicrafts; setting up public libraries and such other facilities;

(viii) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widow;

(ix) promoting rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports, olympic sports inclusive of training, participation in competitions, medical care of sports persons, talent search; creation, development and upgradation of sports infrastructure; sports education and coach development programmes;

(x) contribution to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF); Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PM CARES Fund); Swachh Bharat Kosh; Clean Ganga Fund; National Sports Development Fund (NSDF); or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

(xi) (a) contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) contributions to public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE), Department of Biotechnology (DBT), Department of Science and Technology (DST), Department of Pharmaceuticals, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and

Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defence Research and Development Organisation (DRDO), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs);

(xii) development projects in rural, slum areas;

Explanation. - For the purposes of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force;

(xiii) disaster management activities as defined under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(xiv) subscription to Zero Coupon Zero Principal Instruments on Social Stock Exchange.

Note: The areas or subjects enlisted in Schedule VII of the Act are broad-based and are intended to cover a wide range of activities. The entries in the said Schedule VII must be interpreted liberally to capture the essence of the areas or subjects enumerated in the said Schedule".

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[e-File No. CSR- 05/05 /2026-CSR-MCA]
(TANVI SUNDRIYAL)

Joint Secretary to Government of India.

Note. — The Schedule VII was brought into force with effect from 1st April, 2014 and was subsequently amended as follows:-
1.GSR 130(E), dated the 27th February, 2014;
2. GSR 568(E), dated the 6th August, 2014;
3. GSR 741(E), dated 24th October, 2014;
4. GSR 390(E), dated the 30th May, 2019;
5. GSR 776(E), dated the 11th October, 2019;
6. GSR 313(E), dated the 26th May, 2020;

7. GSR 399(E), dated the 23rd June, 2020;
8. GSR 525(E), dated the 24th August, 2020;
9. GSR 416(E), dated the 27th May, 2026.